न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता , आई.ए.एस

वन अधिनियम अपील संख्याः– 01/2019

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
1– श्रीमती चन्द्रकला गहलोत पत्नी जगदीशसिंह गहलोत जाति माली निवासी गहलोतों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर		1– प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, जयपुर 2– वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर 3– वन मण्डल अधिकारी, जोधपुर। 4– क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर, जोधपुर। 5–राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 17,राजस्थान वन अधिनियम, 1953 विरूद्ध सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी (प्लान) जयपुर केम्प जोधपुर के आदेश दिनांक 22.12.1983 बाद कमांक/236/1980 बअनवान वन विभाग बहक जांच हक हकूक वन खण्ड बेरीगंगा 1, 2, 3 तहसील व जिला जोधपुर।

उपस्थिति :–

आदेश दिनांक 16.08.2022

1– श्री मूलसिंह गहलोत (अपीलार्थीपक्ष)

2– श्री मनोज गहलोत अधिवक्ता (प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 4)

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी (योजना) जयपुर, केम्प जोधपुर द्वारा दिनांक 22.12.1983 को ग्राम मण्डोर के ख.नं. 1, 2, 5मी., 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

लगातार....

35, 36, 37, 38, 39, 40मी., 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 1259, 1262, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299मी., 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, , 1305, 1306, 1307, 1405, 1406 की कुल रकबा 12668.16 बीघा भूमि वनखण्ड बेरीगंगा कम्पार्टमेंट 1, 2 व 3 में रक्षित वन गठन हेतु सामिल करने का आदेश जारी किया गया, जिसमें ख.नं. 1259, 1294, 1262, 1405 की भूमि पर अपीलार्थीपक्ष व अन्य व्यक्तियो को राज्य सरकार के खान विभाग द्वारा शुल्क वसूल कर आंवटित की गई होने से अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील मीमो मय प्रार्थना पत्र अ/धा 12, भा. मियाद अधि. पेश हुआ।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख भी तलब किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 4 की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। प्रत्यर्थी–5 की ओर से सरकारी पेरोकार उपस्थित हुए। मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 04.02.2020 को प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 4 की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियां मय लिखित बहस एवं दिनांक 13.07.2020 को अपीलार्थीया की ओर से लिखित बहस पेश हो चुकी है। दिनांक 01.08.2022 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित होकर लिखित बहस को ही बहस समायत कर निर्णय करने की इस्तदुआ की।

अपीलार्थीपक्ष की ओर से बहस में बतलाया कि विवादित बेरीगंगा की भूमि को राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 02.08.1962 के द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र बताया जा रहा है। राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29(3) के Provision अनुसार बिना विधिवत जांच के भी वन संरक्षण के संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर सकती है, परन्तु उस वक्त विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख तक किन्ही व्यक्तियों या समुदायों के विद्यमान अधिकारों में कमी या उन्हें प्रभावित नहीं करेगी। विज्ञप्ति दिनांक 02.08.1962 में धारा 29(4) के अनुसार कोई विशेष तिथि इसके प्रभावी होने के नहीं दी गई है जो कि आवश्यक है। संरक्षित वन के संबंध में धारा 29(3) में Provision के तहत नोटिफिकेशन जारी करने का किसी तरह का कोई आधार या कारण नहीं दिये गये है तथा इस नोटिफिकेशन के प्रथम अनुसूचि में वन भूमि बंजर बताई गई है, द्वितीय अनुसूचि में भूमि में संरक्षित वृक्ष बताये गये है जबकि विज्ञप्ति के संलग्न ऐसी कोई प्रथम या द्वितीय अनुसूचि ही नहीं है। विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व किसी

लगातार...

तरह का भूमिधारक को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया अतः प्रथम तो उक्त विज्ञप्ति दिनांक 02.08.1962 उपरोक्त कारणों से गलत व कानून के विपरीत है।

बहस में आगे बतलाया कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 व राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 के अनुसार किसी भी व्यक्तिगत या सामुदायिक के पहले से मौजूद अधिकार प्राप्त है वे किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगें। विवादित खसरों की भूमि पर खान विभाग ने वर्ष 1927–28 में खान ऐरिया घोषित किया था और सन् 1951–52 से ब्राह्मणों का टांका में खाने आंवटित/लीज जारी होनी प्रारम्भ हो गई थी अतः बेरीगंगा विवादित ऐरिया के ख.नं. 1259, 1262, 1405 व 1294 वाके ग्राम मण्डोर में 68–69 वर्षो से खनन कार्य हो रहा है ऐसी स्थिति में वन विभाग को कोई अधिकार नहीं है। बहस में यह भी कहा कि उपरोक्त विवादित भूमि से संबंधित कोई विधिवत अंतिम नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है जो तथाकथित अंतिम नोटिफिकेशन 1994 में जारी करना बतलाया जा रहा है, इसमें कोई खसरा नं0 अंकित नहीं है, और न ही कोई सीमा अंकित है, न गांव का नक्शा नजरीया, फील्ड बुक, फिल्ड सर्वे व सीमाकंन है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पीटिशन न0 3958/96 निर्णय दिनांक 16.12.1997 में निर्णित किया गया कि मात्र वन भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो जाने से वह वन भूमि नहीं हो जायेगी, वन भूमि उस भूमि को माना जाएगा जो विधिवत् प्रकिया अपना कर विधिक नोटिफिकेशन के तहत वन भूमि घोषित की गई हो। बहस में यह भी बतलाया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान की भूमियों में कई सार्वजनिक संस्थाए, धार्मिक संस्थांए, सामाजिक संस्थाए, सरकारी संस्थाएं जैसे जल विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक विभाग, रेलवे विभाग, विद्यालय तथा कुष्ठ रोगियों का अस्पताल, पटवार घर, गोचर, दरगाह व औरण है अतः वन विभाग का मौके पर कब्जा नहीं है, भूधारियेा का है। ग्राम मण्डोर तहसील जोधपुर स्थित खसरा नम्बर, 1259, 1294, 1262 व 1405 में राजस्थान सरकार के खान विभाग ने शुल्क वसूल कर अपीलांट व अन्य व्यक्तियों को खाने आवंटित की है तथा अपीलांट ने अपनी आवंटित खान में खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया। आज भी आवंटनसुदा खान पर कब्जा है। गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.08.1962 के अनुसार नोटिफाईड क्षेत्र की भूमि की सरकारी या प्राईवेट व्यक्तियों की जांच करने, रेवेन्यू रिकॉर्ड में लेखबद्ध करे, परन्तु नहीं किया गया। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी प्लान जयपुर केम्प जोधपुर ने कार्यवाही के दौरान कुछ समन जारी किये

लगातार...

गये, परन्तु उद्घोषणा में आम जनता को सुनवाई का कोई स्थान व समय नहीं बताया गया।

बहस में यह भी कहा कि दिनांक 06.06.2005 के पत्र में खनिज अभियन्ता जोधपुर में सभी क्वारी धारकों उक्त खसरान 62 में जो खाने स्थित है वो भूमि वन क्षेत्र की भूमि है इस पर अपीलांट व अन्य व्यक्तियों ने खनिज अभियन्ता के समक्ष कार्यवाही की। वन बन्दोबस्त अधिकारी जोधपुर व जिला कलक्टर जोधपुर के बीच पत्रों का आदान–प्रदान हुआ जिस पर हलका पटवारी ने उक्त खसरान की भूमि का मौका जांच रिपोर्ट व निरीक्षण दिनांक 23.09.2005 को करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त खसरान की भूमि वन क्षेत्र में आ गई। अपीलार्थी ने वन बदोबस्त अधिकारी जोधपुर के समक्ष 7 रिव्यू याचिकांए पेश की गई जो आज दिन तक विचाराधीन है। बहस के अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.1983 को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस में कहा कि अपीलार्थीया श्रीमती चन्द्रकला को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि न ही वह इस इलाके की निवासनी है, न ही इसकी कोई सम्पति उक्त इलाके में आई हुई है। इस इलाके में वर्षो पूर्व अपीलार्थीया के नाम एक खान का आवंटन हुआ था और उस खान का आंवटन पूर्व में निरस्त हो चुका है। यह भी कहा कि अपीलार्थीया द्वारा एक वाद खान विभाग और वन विभाग के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो भी निरस्त हो चुका है अतः अपीलार्थीया की लोकस नहीं होने से अपील चलने योग्य नहीं है। अपील वर्ष 1983 के आदेश के विरूद्ध करीब 36–37 वर्ष पश्चात् पेश की गई, जो मियाद बाहर है इस कारण भी अपील निरस्त योग्य है। राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत वनखण्ड की अंतिम विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् अपील करने का प्रावधान नहीं है। इस वनखण्ड की अंतिम विज्ञप्ति दिनांक 17.02.1994 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हुई थी एवं इस अंतिम प्रकाशन को 25 वर्ष हो चुके है अतः विलम्ब से यह अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से काबिल निरस्ती के है। बहस में यह भी कहा कि अब इस वनखण्ड की वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होगे तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 के प्रभाव भी लागू होगें। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी कानून के विरूद्ध नहीं था। किसी भी तरह की धार्मिक संस्थाएं प्रभावित नहीं हो रही है, मात्र अनुचित लाभ प्राप्त करने की मंशा से उपरोक्त कार्यवाही की गई। बहस

लगातार...

में आगे कहा कि जब वर्षो से उसे लीज या लाईसेंस फीस ही नहीं ली जा रही है व लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है और दीवानी न्यायालय द्वारा उसके द्वारा किया गया मामला अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश की अपीलार्थीया द्वारा अपील नहीं की गई है। बहस में यह भी बतलाया कि खानधारक ज़िसमें अपीलार्थीया के पति की वर्तमान में 37 वर्ष बाद आपत्ति प्रस्तुत करना उचित नहीं है। तत्समय इनके द्वारा आपत्ति क्यों नहीं की गई। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियां पूर्व में भी दीवानी न्यायालय के समक्ष उठाई गई थी। दीवानी न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थीया की समस्त आपत्तियां निरस्त की गई, इन परिस्थितियों में भी अपीलार्थीया की उक्त अपील रेस्जुडीकेटा से बाधित है इसलिए काबिल खारिज होना कहा। बहस के अन्त में अपील अपीलार्थीया विधि बाधित होने, प्रस्तुत करने का हक अधिकार नहीं होने, अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं करने से निरस्त करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया गया। अपीलार्थीया ने अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य (condone) करने के प्रार्थना पत्र में बतलाया कि दिनांक 06.06.2005 के पत्र में खनिज अभियन्ता जोधपुर में सभी क्वारी खानधार कों को नोटिस दिया जिसमें सभी क्वारी धारकों को कहा गया कि उपरोक्त खसरान मे जो खाने स्थित है वो भूमि वन क्षेत्र में आती है जिस पर अपीलार्थीया एवं अन्य व्यक्तियों ने दिनांक 02.07.2005 को खनिज अभियन्ता जोधपुर के समक्ष कार्यवाही करने के पश्चात् दिनांक 25.08.2005 को राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार को ग्राम मंडोर में ख.नं. 1259, 1262, 1294, 1405 के सेटलमेंट में हुई वर्तमान अधिकारों की अनियमिताओं की जांच करने बाबत् प्रार्थना पत्र दिया गया। आगे कहा कि जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 09.09.2005 को वन बन्दोबस्त अधिकारी जोधपुर को जांच करने का आदेश दिया गया। जांच रिपोर्ट में उक्त खसरान की भूमि वन क्षेत्र में आने की जानकारी होने पर अपीलार्थीया ने वन बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष रिव्यू याचिका प्रस्तुत की जो विचाराधीन बताई गई तथा 14 वर्ष तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाने पर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीया के उक्त कथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीया को अपीलाधीन आदेश की जानकारी कम से कम वर्ष 2005 से भलीभांति रही है। अपीलार्थीया द्वारा विवादित भूमि को लेकर स्थाई निषेधाज्ञा का एक

लगातार...

दीवानी वाद राज्य सरकार, खान विभाग व वन विभाग के विरूद्ध पेश किया गया जो दिनांक 17.10.2014 को वन भूमि पर अधिकार नहीं मानते हुए निरस्त किया जा चुका है। अपीलाधीन आदेश 1983 की पालना में बेरी गंगा वनखण्ड की अंतिम विज्ञप्ति का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 17.02.1094 को जारी हो चुका है अतः अपीलाधीन आदेश के 36–37 वर्ष पश्चात् अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य करने का युक्तियुक्त एवं संतोषप्रद कारण नहीं होने से विलम्ब को क्षम्य (condone) करना न्यायोचित नहीं समझते है अतः अपील मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख पुनः प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।